



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 01.10.20

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा अभियुक्त दिनेश कुमार पुत्र डल्लाराम को 01

किलो अवैध गांजा के साथ किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना नीमगांव पुलिस द्वारा दिनांक 30.09.20 को मुखबिर की सूचना पर गुलौला मोड़ से 01 अभियुक्त दिनेश कुमार पुत्र डल्लाराम नि० ग्राम गुलौला थाना नीमगांव जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 292/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना निघासन पुलिस द्वारा 300 अदद नशीली टैबलेट अल्प्राजोलम सहित अभियुक्त

बहाजुद्दीन उर्फ रज्जन को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना निघासन पुलिस द्वारा दिनांक 30.09.20 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम गजियापुर चौराहे से अभियुक्त बहाजुद्दीन उर्फ रज्जन पुत्र शमशुद्दीन नि० गजियापुर नहर पटरी थाना निघासन खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 300 अदद नशीली टेबलेट्स (अल्प्राजोलम 0.5 mg) बरामद की गई। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 754/20 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

बहाजुद्दीन उर्फ रज्जन का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 240/2013 धारा 363/366/372/373/376 भा०दं०वि० थाना निघासन खीरी

पुलिस पार्टी-

उ०नि० धर्मदास सिद्धार्थ(चौकी प्रभारी पटुवा)

हे०का० रविन्द्र बिहारी सिंह

का० कैलाश कुमार

का० जैनेन्द्र कुमार

का० विमलेश कुमार

थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ के वांछित अभियुक्त सराफत पुत्र लाल मोहम्मद को किया गया गिरफ्तार



प्रेस नोट

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद खीरी द्वारा वांछित/वारन्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 01/10/2020 को मु0अ0स0 309/2020 धारा 354/323/504/506 IPC व 7/8 पाक्सो से संबंधित वांछित अभियुक्त सराफत पुत्र लाल मोहम्मद निवासी सकेथू थाना हैदराबाद खीरी को आज दिनांक 01-10-2020 समय करीब 09.30 सुबह बजे ग्राम भिलया तिराहा से थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जिसके संबन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 309/2020 धारा 354/323/504/506 IPC व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत है। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. सराफत पुत्र लाल मोहम्मद निवासी सकेथू थाना हैदराबाद खीरी

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 यशवीर सिंह थाना हैदराबाद जिला खीरी
2. का0 बालगोविन्द थाना हैदराबाद जिला खीरी

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **18.86 लीटर अवैध कच्ची शराब तथा 01 शराब भट्टी बरामद कर 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार** किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1	थाना फूलबेहड़	1.86 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
2	थाना फरधान	17 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल	18.86 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार

चेकिंग परिणाम

- 1- पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में कोविड-19 महामारी से बचाव व सुरक्षा हेतु चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में 185 व्यक्तियों के विरुद्ध मास्क न लगाये जाने व सार्वजनिक स्थान पर थूकने के संबंध में कुल 61300 रूपये का जुर्माना वसूला गया।
- 2- पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता एवं सड़क दुर्घटनाओं से बचाव हेतु चलाये जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में यातायात नियमों का उल्लंघन करने करने वाले 97 व्यक्तियों का चालान किया गया तथा 37000 रूपये समन शुल्क वसूला गया।